न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 137/2024

अनवान : –

1. निर्मलसिंह पि0 किशनसिंह
2. हरदयालसिंह
3. गुरप्रीतसिंह पि0 त्रिलोकसिंह
4. सुरजीतसिंह

अकवाम कम्बोजसिख निवासीयान 73 आर. बी. हाल आबाद टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

प्रार्थीगण

बनाम्

1. रेशमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
2. छिन्द्रकौर पत्नी रेशमसिंह

अकवाम मजहबी निवासीयान सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 30/10/24

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चकनं0 15 सीडीआर के खाता सं0 43/47 में संयुक्त खाता में कुल 3.036 है० मय गै०मु० नहरी, नाली प्रथम कृषि भमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी सं0 3 व 4 प्रत्येक का 1⁄8 हिस्सा संयुक्त खाता में अन्य सहकाशतकारान के साथ दर्ज है एंवम् अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के नाम से चकनं0 15 सीडीआर के खाता सं0 11 /105 में कुल 0.417 है0 आराजी नहरी ब०हि०ब० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है । चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 205/268 मु0 16 किलानं0 11/2 में 0.025 है० स्वीकृत शुदा रास्ता है, उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि चकनं0 15 सीडीआर के प०न० 205/268 मु० 16 किला नं0 12 के पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तथा इसी किला में दक्षिण [illegible] और पश्चिम से पूर्व एंव किला नं0 13 के दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर से [illegible] चले आ रहे है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई [illegible] उपलब्ध नहीं है है, प्रार्थीगण को रास्ता की नितांत आवश्यकता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू लेकिन उक्त रास्ता रा[illegible]रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिस कारण से प्रार्थीगण को अनेकों परेशानियो का सामना करना पड़ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.14 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है । इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 205/268मु0 16 किलानं0 12 में 025 है0 चौड़ा पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तथा इसी किला में दक्षिण दिशा की ओर . 025 है0 चौड़ा पश्चिम से पूर्व एवं किला नं0 13 में 004 है0 दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहता है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को डीएलसी रेट के अनुसार राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 को आज से एक सप्ताह पूर्व उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चकनं0 15 सीडीआर के प०न० 205/268मु0 16 किलानं0 12 में 025 है० चौड़ा पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तथा इसी किला में दक्षिण दिशा की ओर 025 है0 चौड़ा पश्चिम से पूर्व एंव किला नं0 13 में .004 है० दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थीगण स0 1 ता 4 व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 व ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी के राजीनाम पेश किया कि चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 205/268 मु० 16 किलानं0 11/2 में 0.025 है0 स्वीकृत शुदा रास्ता है, उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर प्रथम पक्ष, हम द्वितीय पक्ष की भूमि चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 205/268 मु० 16 किला नं0 12 के पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तथा इसी किला में दक्षिण दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व एंव किला नं0 13 के दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते चले आ रहे है उक्त रास्ता मौका पर चालू है तथा उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रथम पक्ष के पास नही है । इसलिए हम अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष की भूमि चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 205/268मु० 16 किलानं0 12 में .025 है0 चौड़ा पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तथा इसी किला में दक्षिण दिशा की ओर . 025 है0 चौड़ा पश्चिम से पूर्व एंव किला नं0 13 में .004 है0 दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम द्वितीय पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है । द्वितीयपक्ष ने रास्ता की भूमि के बदले में प्रथम पक्ष से राशि प्राप्त कर ली है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम द्वितीय पक्ष को कोई उज्र व एतराज नही है राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया बाद तसीदीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया। दोनो पक्षों ने राजीनाम स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.14 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। ह[illegible] अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत [illegible] गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो चकनं0 15 सीडीआर के प0न0 205/268 मु० 16 किला नं0 12 में .025 है0 चौड़ा पश्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण तथा इसी किला में दक्षिण दिशा की ओर .025 है0 चौड़ा पश्चिम से पूर्व एंव किला नं0 13 में .004 है0 दक्षिणी–पश्चिमी कॉर्नर रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता स्वीकृत किया जाता है अतः इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 30/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.14 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner